

Last correction slip No. 02, dated-06.03.2020
East Central Railway
Correction slip No.03
(GR & SR Book-2018)

Delete the existing SR 4.19 (1) on page no. 113 and substitute the following in its place.

SR 4.19(1) GUARD'S EQUIPMENTS: *The equipment of Guard should contain the following items in addition to what has been prescribed in GR 4.19.*

- (a) One Tri-colour Battery operated Hand Signal Lamp/LED based Hand Signal Lamp.*
- (b) Hand Signal flags-03 (Red-02 & Green-01).*
- (c) Detachable LV Board-01.*
- (d) Flashing Tail Lamp-01.*
- (e) Detonators (in a case containing 10).*
- (f) Working Time Table of such Divisions he is to work.*
- (g) Rough journal Book and other Forms.*
- (h) Guard Certificate book (For passenger train Guards only.)*
- (i) Padlock- 02 (For Passenger/Mail Exp.)*
- (j) Rubber washer-03.*
- (k) Rule Books- Hand book of Rules supplied by Administration or E-Rule Books or Rail "ECR PASAND" App.*
- (l) Two pair of spectacles if he is required to wear spectacles under medical advice.*
- (m) One Air pressure indicator gauge with adapter 'B' (Goods train Guards only.)*
- (n) Wrist watch.*
- (o) A cross belt (For passenger train Guards only.)*
- (p) Whistle (For passenger train Guards only).*
- (q) Ten arm bands of orange colour having legend "Accident Relief" inscribed thereon (For passenger carrying train only)*
- (r) Walkie-Talkie Set- To be supplied by SE(S&T) to Guards after full charging and ensuring that it is in proper working order.*
- (s) Re-set key -01(To be used for re-setting the valve in case of ACP in trains with LHB coaches)*
- (t) A Trolley bag for keeping equipments. (Size- 20-22 inches/Medium size)*

NB: Guards after signing on for duty will carry above equipments in Trolley Bag (Size 20-22 inches/Medium size) with him for safe and efficient discharge of duty.

All concerned will correct GR & SR book of East Central Railway Edition-2018 accordingly and the same shall be brought to the notice of all the official concerned.

(Salil Kumar Jha)
Principal Chief

Operations Manager

ECR/Hajipur.

No. ECR/Optg. Safety/G&SR/24/505,

Date-21.09.2020.

अंतिम संशोधन पर्ची संख्या 02, दिनांक: 06.03.2020

पूर्व मध्य रेल

संशोधन पर्ची संख्या 03

(सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक 2018)

पृष्ठ संख्या 131 पर वर्तमान सहायक नियम 4.19 (1) को हटाकर इसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें-

सहायक नियम 4.19

(1) गार्ड के उपकरण:- जैसा कि सामान्य नियम 4.19 में निर्धारित किया गया है के अतिरिक्त गार्ड के उपकरण में निम्नलिखित सामान होनी चाहिए-

(क) एक तीन रंगों वाला बैट्री संचालित हैंड सिगनल लैम्प/LED आधारित हैंड सिगनल लैम्प।

(ख) हाथ सिगनल झंडी-03 (लाल-02 एवं हरा-01)

(ग) अलग करने योग्य एल भी (LV) बोर्ड-01

(घ) फ्लोशिंग टेल लैम्प-01

(ङ) पटाखा/डेटोनेटर-एक डिब्बा में 10

(च) उन मंडलों का कार्यकारी समय-सारिणी जिन पर गाड़ी कार्य करना है।

(छ) रफ जनरल पुस्तिका एवं अन्य फार्म।

(ज) गार्ड प्रमाणपत्र पुस्तिका (केवल यात्री गाड़ी के गार्ड के लिए)।

(झ) पैडलॉक-02 (पैसेंजर/मेल एक्सप्रेस के लिए)

(ञ) रबड़ वाशर-03

(ट) नियम पुस्तिकायें -प्रशासन द्वारा आपूर्ति की गई नियमों का हैंड बुक अथवा ई-रूल बुक्स अथवा रेल "ईसीआर पसंद" एप (Rail ECR PASAND App)

(ठ) दो जोड़ी चश्मा, यदि चिकित्सीय सलाह के अधीन उसे पहनने की आवश्यकता है।

(ड) एक एयरप्रेसर इंडिकेटर गेज एडाप्टर "बी" के साथ (केवल मालगाड़ी के गार्डों के लिए)।

(ढ) कलाई घड़ी।

(ण) एक कास बेल्ट (केवल यात्री गाड़ी के गार्ड के लिए)।

(त) सीटी (केवल यात्री गाड़ी के गार्ड के लिए)।

(थ) नारंगी रंग का दस बॉह पट्टी जिस पर "दुर्घटना राहत" लिखा होगा(केवल सवारी गाड़ी के लिए)

(द) वॉकी-टॉकी सेट- सेक्शन इंजीनियर (एसएण्डटी) द्वारा गार्डों को पूर्ण रूप से चार्ज कर दिये जाने और यह सुनिश्चित कर लेने के बाद कि यह ठीक से काम कर रहा है, आपूर्ति की जाएगी।

(ध) रिसेट-की चाभी-01 (एलएचबी कोच लगे ट्रेनों में एसीपी होने पर वाल्व को रिसेट करने के लिए)।

(न) उपकरणों को रखने के लिए एक ट्रॉली बैग (20 से 22 ईच/मिडियम साईज)।

ध्यान दें: ड्यूटी के लिए साईन ऑन कर लेने के बाद गार्ड अपने कर्तव्य का सुरक्षित एवं कुशल निर्वहन के लिए उपर वर्णित उपकरण/सामग्रियाँ अपने साथ ट्राली बैग (साईज 20 से 22 ईच/मिडियम साईज) में लेकर चलेंगे।

सर्व संबंधित पूर्व-मध्य रेल के सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक-2018 को

तदनुसार संशोधित करेंगे तथा इसे सभी संबंधित कर्मचारियों को संसूचित करेंगे।

(सलिल कुमार झा)

प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक
पूर्व मध्य रेल,हाजीपुर।

संख्या पूमरे/परि0 संरक्षा/जी एण्ड एसआर/24/505, दिनांक:-21.09.2020